न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2022/84

1. रमेश आत्मज श्री रामलाल जाति धाकड ।
2. जगन्नाथी बाई बेवा रामलाल जाति धाकड निवासीगण बडौद तहसील दीगोद जिला कोटा ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. कृष्ण मुरारी आत्मज श्री रामलाल जाति धाकड निवासी बडौद ।
2. रूकमणी बेवा रामलाल जाति धाकड निवासी बडौद तहसील दीगोद जिला कोटा ।
3. अन्जना पुत्री रामलाल पत्नी ओमप्रकाश जाति धाकड ग्राम अन्तडा तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
4. लक्ष्मी पुत्री रामलाल पत्नी मांगीलाल जाति धाकड निवासी बून्दी जिला बून्दी ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा ।

——रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री दयाराम सेन, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री प्रदीप मेहरा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 1 से 4 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 30.01.2023

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.04.2022 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53, 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत

किया । उक्त वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम बडौद तहसील दीगोद में कुल किता 02 की रकबा 250 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि प्रार्थी कम 01 व अप्रार्थी कम 1व 3 –4 के पिता व प्रार्थी कम 02 व अप्रार्थी कम 03 के पति रामलाल आत्मज मांगीलाल के खाते में दर्ज चली आ रही है । रामलाल आत्मज मांगीलाल ने अपने जीवनकाल में दो शादियाँ की हैं पहली शादी प्रार्थी की माता प्रार्थी कम 02 जगन्नाथी बाई से की तथा रामलाल जी के नुत्फे से रूकमणी ने प्रार्थी को जन्म दिया । रामलाल जी ने दूसरी शादी अप्रार्थी कम 02 रूकमणी से की है तथा रामलाल जी के नुत्फे से रूकमणी ने अप्रार्थी कम 1, 3–4 को जन्म दिया है । रामलाल जी के दो पत्नियाँ हैं यानि रामलाल जी के दो यूनिट हैं । रामलाल जी का देहावसान हो चुका है इस कारण पहली यूनिट प्रार्थीगण का उक्त भूमि में 1/2 हिस्सा बनता है तथा दूसरी यूनिट अप्रार्थी कम 1 से 4 का निजका भी 1/2 हिस्सा बनता है । इसी अनुसार प्रार्थीगण व अप्रार्थी भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं । उक्त भूमियों में प्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा बनता है जिस पर प्रार्थीगण शांतिपूर्वक तरीके से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं । अप्रार्थीगण से उक्त प्रकार से 1/2, 1/2 हिस्से से इंतकाल खुलवाने व भूमि का बंटवारा करवाने हेतु प्रार्थीगण ने कहा तो अप्रार्थीगण ने इंकार कर दिया । ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के लिये आवश्यक हो गया है कि वह अपने आपको 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित करावे तथा अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे । प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में है ।

3. अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि ताफैसला वाद अप्रार्थी गण विवादित भूमि अथवा उसके किसी भू–भाग को रहन, बेचान, अन्तरण व खुर्द–बुर्द नहीं करें तथा प्रार्थीगण के 1/2 हिस्से के कब्जे काश्त में मदाखलत व मजाहमत नहीं करें । उक्त भूमि से प्रार्थीगण को बेदखल नहीं करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. अप्रार्थीगण 01 से 04 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 01.04.2022 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.04.2022 से व्यथित होकर प्रार्थीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि रामलाल जी ने अपने जीवनकाल में दो शादियाँ की थी पहली शादी प्रार्थी की माता प्रार्थिया कम 02 जगन्नाथी बाई से की थी । रामलाल के नुत्फे से अपीलान्ट पैदा हुआ तथा दूसरी शादी रूकमणी से की थी जिससे रेस्पोडेन्ट कम 1, 3 व 4 पैदा हुई है । रेस्पोडेन्टगण वादग्रस्त आराजी को खुर्द–बुर्द करने में आमादा हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.04.2022 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थी व अप्रार्थीगण कम 1 से 4 के पिता व प्रार्थी कम 2 व अप्रार्थी कम 3 के पति रामलाल पुत्र मांगीलाल के खाते में दर्ज चली आ रही है । रामलाल जी ने अपने जीवनकाल में दो शादियों की थी पहली शादी प्रार्थी की माता प्रार्थिया कम 02 जगन्नाथी बाई से की थी । रामलाल के नुत्फे से अपीलान्ट पैदा हुआ तथा दूसरी शादी रूकमणी से की थी जिससे रेस्पोडेन्ट कम 1, 3 व 4 पैदा हुई है । रेस्पोडेन्टगण वादग्रस्त आराजी को खुर्द–बुर्द करने में आमादा हैं । उक्त आराजी में अपीलान्ट का 1/2 हिस्सा तथा रेस्पोडेन्ट का 1/2 हिस्सा बनता है । रेस्पोडेन्टगण वादग्रस्त आराजी को खुर्द–बुर्द एवं रहन, बेचान करने पर आमादा हो रहे हैं । प्रथमदृष्टया प्ररकण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति अपीलान्ट के पक्ष में है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.04.2022 निरस्त फरमाया जावे तथा अपीलान्ट के पक्ष में स्थगन आदेश पारित किया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि रामलाल जी के देहावसान के बाद राजस्व रिकॉर्ड में विधिक वारिसान का नाम फौती नामान्तरकरण प्रकिया से दर्ज होता है । रामलाल जी से अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट कम 1 से 4 विधिक वारिसान हैं जिनका प्रत्येक का बराबर–बराबर हिस्सा बनता है । पैतृक सम्पत्ति में नामान्तरकरण प्रकिया पिता के वारिसान व उत्तराधिकारी से यूनिट की गिनती होती है न कि माता के द्वारा जन्मे वारिसान के द्वारा इसलिए अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट कम 1 से 4 का बराबर–बराबर हिस्सा व अधिकार बनता है । वादग्रस्त आराजी में अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज हुए बिना वादग्रस्त आराजी का बेचान नहीं किया जा सकता । प्रस्तुत प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 40 के प्रावधान लागू होते हैं । निर्वसीयत के उत्तरजीवी पुत्रों और पुत्रियों एवं माता को हक एक को एक अंश मिलेगा निर्वसीयती की विधवा को भी अंश मिलेगा । प्रश्नगत भूमि का नामान्तरकरण भी खुल चुका है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.04.2022 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरटी 2015 (1) पेज 633 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम बडौद की आराजी खसरा नम्बर 181 रकबा 0.87 हैक्टर, खसरा नम्बर 438 रकबा 1.63 हैक्टर कुल 02 किता की कुल रकबा 2.50 हैक्टर भूमि रामलाल पुत्र मांगीलाल के खातेदारी में दर्ज है । वादग्रस्त आराजी रामलाल जी के खातेदारी में दर्ज है । वादग्रस्त आराजी में पक्षकारान के हक, स्वत्व अधिकारों का निर्धारण मूल वाद के

निस्तारण के समय होगा । प्रश्नगत भूमि का नामान्तरकरण खुलना भी विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बताया है । इस सम्बन्ध में एक अप्रमाणित जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 प्रस्तुत की है । प्रकरण के तथ्यों एवं प्रथमदृष्टया रिकॉर्ड अनुसार पक्षकारान सहखातेदार हैं । भूमि का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है । ऐसी स्थिति में एक सहखातेदारी के विरूद्ध दूसरे सहखातेदार के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित नहीं है । चूँकि भूमि का विधिवत विभाजन भी नहीं हुआ है, अतः सुविधा का संतुलन भी अपीलान्ट के पक्ष में नहीं है । प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति तीनों बिन्दु प्रार्थीगण अपीलान्ट के पक्ष में नहीं है । हमने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत प्रतीत होता है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

11. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.04.2022 बहाल रखा जाता है ।

12. निर्णय आज दिनांक 30.01.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा